

नगरपरिषद 70 हजार पौधे लगायेगी

सुजानगढ़, (निसं)। नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में सभापति नीलोफर गौरी ने पौधारोपण कर नगरपरिषद के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सभापति ने बताया कि परिषद द्वारा ग्रीन स्पेस पार्क में पांच सौ पौधे लगाये जायेंगे तथा नगरपरिषद क्षेत्र में 70 हजार पौधे लगाये जायेंगे। नरेगा श्रमिकों द्वारा पौधों की देखभाल एवं संरक्षण किया जायेगा। इस दौरान परिषद के सचिव सुरेश चौहान, एटीपी उदयसिंह गुर्जर, सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल मेहरडा, कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार, एसआई ओमप्रकाश स्वामी, मुत्रालाल मौषा, तिलोक चंद, पवन कुमार रांकावत, इशारा गौरी, पार्थ सासिफ चौहान, मोहन मेघवाल, जाकिर क्याल, शहरी मनरेगा के जेटीए यतेन्द्र सिंह, कृष्ण शर्मा, नरपत सिंह, सरिता, मनीषा सहित अनेक नगरपरिषद कर्मिक, जनप्रतिनिधि एवं नरेगाकर्मि मौजूद थे।

इसी प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76 वें स्थापना दिवस पर सोना देवी सेडिया कन्या महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान छात्राओं को पौधे वितरित किये गये। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. साधना सिंह, एबीवीपी के प्रांत कार्यसमिति सदस्य राहुल सामरिया, जिला संयोजक विशाल, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य देवांशु एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

मन्त्र संख्या 7
(द्वितीय दिवस 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सार्वजनिक व्यक्तियों को
मुहब्बत नम्बर 57/2027

(नाम दर्ज तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सुमीराल पुनिया पुत्र गोकुलराज पुनिया, ग्राम पोट्ट नारदीयानी, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रत्यास आराक्षित बालाजी मंदिर दूर, ग्राम पोट्ट नारदीयानी तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू के स्वाम्य में अधिन जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मैं उपर्युक्त प्रत्यास प्रतिकी जांच की जा रही है। मैं निम्न स्थानों पर जांच करके निम्नलिखित निष्कर्षों का आचरण करता हूँ—

उपरोक्त अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रत्यास आराक्षित बालाजी मंदिर दूर, ग्राम पोट्ट नारदीयानी तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू के स्वाम्य में अधिन जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यलय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आदेश जारी करने की तिथि 12.09.2024

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

यहाँ पर

राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला है बजट : राजेन्द्र राठौड़

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया दी

चूक, (कासं)। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सदन में प्रस्तुत राज्य बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला विकासोन्मुखी व जनकल्याणकारी बताया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। राठौड़ ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला पूर्णकालिक बजट 2024-25 जन-जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला है। यह आपगो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित लोक-कल्याणकारी व सर्वसमावेशी संकल्पों को धरातल पर साकार करेगा एवं नये व सशक्त राजस्थान के निर्माण की नींव

से बाया भालेरी रोड़ बाया सरदारशहर रोड़ बाया रतनगढ़ रोड़ बाया देपालसर रोड़ से नेशनल हाईवे 52 चूक तक रिंग रोड़ का निर्माण किया जायेगा। 75 करोड़ की लागत से बाड़पास एनएच . 58 से मेगा हाइवे सुजानगढ़ चूक का निर्माण कार्य व 5-5 करोड़ रुपए की की लागत से राम नगर तिराहा चूक और ओम कॉलोनी में चूक में आरओबी का निर्माण, 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से मोलीसर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन चूक पर आरओबी 75 निर्माण कराया जाएगा। यह हाइवे, आरओबी और सड़कें चूक के विकास के नए मार्गों को प्रशस्त करेंगे और शहरवासियों के आवागन को सुलभ बनाएंगी तथा शहर में जगह जगह लगने वाले जाम को परेशानी से भी निजात मिलेगी।

राठौड़ ने कहा कि देश और प्रदेश

में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र चूक के सालासर मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य धार्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देने में सार्थक होगा और कृषि के क्षेत्र में अहम स्थान रखने वाले चूक में कृषि महाविद्यालय खुलने से जिले के विद्यार्थियों को उन्नत खेती और किसानों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य के जरिए चूक में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गढ़ चूक के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन होने यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 100 करोड़ की लागत से सरदारशहर चूक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को उन्नत व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

‘प्रदेश के विकास को दिशा और गति देगा बजट’

चूक, (कासं)। भारतीय जनता पार्टी के नेता पद्मभूषण देवेन्द्र झाड़ाड़िया ने राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए बजट को राजस्थान के विकास की दिशा और गति तय करने वाला बताया है। झाड़ाड़िया ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार हर वर्ग और हर क्षेत्र को तबज्जो दे गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित

राजस्थान/2047 के लक्ष्य के साथ आगामी 5 वर्ष की कार्ययोजना के तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज सदन में वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट प्रस्तुत करते हुए विकसित और उन्नत राजस्थान के ध्येय को चरितार्थ करते हुए प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर, महिला व विद्यार्थी वर्ग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट योजनाएँ प्रारम्भ करने की घोषणा की है।

सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना

चिड़ावा, (निसं)। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आन्दोलन पर चिड़ावा ब्लॉक में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने धरना दिया और उपखंड अधिकारी, विधायक पितराम काला, सांसद बृजेन्द्र ओला और पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। सरपंच संघ चिड़ावा के अध्यक्ष विनोद डांगी व सचिव संजय सैनी ने बताया कि सरपंच संघ 14 सूत्री मांगों को लेकर अन्दोलनरत है। उनमें मुख्य मांगे करीब 2 साल से बकाया चल रहे एसएफसी,

एफएफसी की करीब 7700 करोड़ की कस्तों के भुगतान, मनरेगा की बकाया राशि का भुगतान, जल जीवन मिशन का संचालन जलदाय विभाग को सौंपने, सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी, समायोजन के नाम पर सरपंचों का शोषण बन्द कर नियमानुसार समायोजन करवाने, खाद्य सुरक्षा में नए परिवारों को जोड़ने आदि प्रमुख हैं।

चिड़ावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया

चिड़ावा, (निसं)। उतर पश्चिम रेलवे ने एडीआरएम संजीव दीक्षित आज चिड़ावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दीक्षित शाम के समय चिड़ावा पहुंचे। स्टेशन अधीक्षक आजाद सिंह ने उनका स्वागत किया। दैनिक रेल यात्री संघ सदस्यों ने अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर दीक्षित का अभिनंदन किया। एडीआरएम संजीव दीक्षित स्टेशन दफ्तर में सिग्नल प्रक्रिया, स्टोर रूम, रिटायरिंग रूम, ई टिकटिंग प्रणाली, स्टेशन के बाहर पौधारोपण सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और स्टेशन अधीक्षक आजाद सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीआरएम संजीव दीक्षित को दैनिक रेलयात्री संघ चिड़ावा अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा ने विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन दिया। एडीआरएम संजीव दीक्षित ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इनको जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया।

पुरानी पेंशन को लेकर विद्युत श्रमिक संघ की बैठक

झुंझुनू, (निसं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ जिला झुंझुनू के अधीक्षण अभियंता वृत्त कार्यालय परिसर में पुरानी पेंशन को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक श्रमिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वृत्त कार्यालय परिसर संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन बिजली कर्मचारियों का अधिकार है। परंतु जीपीएफ कटौती चालू नहीं की गई। इसके लिए जल्द जयपुर मुख्यालय

विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया जाएगा तथा श्रमिक समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं के निदान के लिए अधीक्षण अभियंता से वार्ता कर निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। बैठक में उपस्थित डिस्क्रॉम महामंत्री देवकरन सैनी की अनुमति से अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर वृत्त इकाई की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिसमें हजारीलाल सैनी को संरक्षक, मूलचंद महला को अध्यक्ष तथा रामावतार शर्मा को सचिव उपस्थित रहे।

कार्यालय निगर परिषद, झुंझुनू (राज.)

पट्टा निरस्तीकरण आदेश

कार्यालय हाजा द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान स्टेशन रोड़ के पूर्व का क्षेत्र में स्थित मुख्ण संख्या 07, क्षेत्र, 7000 वर्गज का पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 को श्री संदीप, प्रदीप, कुलदीप, जगदीप मांजू पुत्रगण रामसिंह मांजू को जारी किया गया है। कार्यालय हाजा द्वारा उक्त पट्टा विलेख के सन्दर्भ में में परिवारी श्री सुशील पुत्र प्रस्तुत कर जवाब दिये जाने हेतु समय की मांग की गई। परिवाद के सन्दर्भ में नगरपरिषद के सिविल सलाहकार से विधिक राय प्राप्त की गयी, प्राप्त विधिक रिपोर्ट अनुसार “ आवेदकगण द्वारा कय भूमियों से अथिच भूमि रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए हस्तगत पट्टा प्राप्त किया गया है तथा पत्रावली संलग्न पोस्ट कोतवाली झुंझुनू की अंतिम रिपोर्ट में आवेदकगण को धारा 199 आईपीसी के अपराध का आरोपी माना है, जिससे प्रकट होता है कि आवेदकगणों द्वारा प्रथम दृष्टया मिथ्या दस्तावेजगत एवं घोषणा पत्रावली के आवेदन के साथ संलग्न की है, जिसके संबंध में नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के प्रावधानों के अनुसार रिहलद व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के परभात नगरपालिका को पट्टे व उससे संबंधित प्रस्ताव या कार्यवाही को पुस्त- या मारत- उपान्वरित, रद्द वा अस्वीकार करने का अधिकार निहित है। इसदिप उक्त पत्रावली में रिहलदप्रकाकरण को पूर्ण सुनवाई का नोटिस देकर उक्त पट्टे के संबंध में 73(ख) अनुसार कार्यवाही समाप्त की जानी उचित होगी।

परिवाद की जांच करने पर संज्ञान में आया कि आवेदकगणों द्वारा जरिये पंजीकृत विलेख पत्रों के 55.55 वर्गज(प्रदीप मांजू), 55.55 वर्गज (संदीप मांजू), 250.00 वर्गज (जगदीप मांजू), 250.00 वर्गज (कुलदीप मांजू) कय किया गया है। उक्त पंजीकृत विलेख पत्रों में 10'0" रास्ता दर्शाया गया है। आवेदकगणों द्वारा उक्त कय की गयी भूमि 61.10 वर्गज + रास्ते की भूमि 110'0" * 10'0" = 122.22 वर्गज कुल क्षेत्र, 733.33 वर्गज का पट्टा बाहने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई मय से 50 फीट होने के कारण 700 वर्गज का पट्टा जारी किया गया है किन्तु उक्त जारी पट्टा विलेख में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी हुआ है। उक्त रास्ते की भूमि का पट्टा पट्टाधारको द्वारा मिथ्या दस्तावेजगत प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया है।

कार्यालय पत्रांक 3128 दिनांक 24.06.24 के क्रम में पट्टा धारको द्वारा अनुचित समयवधि की मांग की गयी, जो स्वीकार्य नहीं होने, प्राप्त विधिक राय के अनुसार एवं पत्रावली अंतिम तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार पट्टाधारको को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कार्यालय पत्रांक 3266 दिनांक 28.06.2024 में पट्टाधारको द्वारा कय की गई भूमि से अथिच भूमि का पट्टा विलेख प्राप्त किये जाने के सन्दर्भ में अयना स्पष्टीकरण /जवाब दिनांक 01.07.2024 को प्राप्त 1100 बजे तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जारी किया गया। जिसके क्रम में पट्टाधारको द्वारा कोई तथ्य /ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री संदीप, प्रदीप, कुलदीप, जगदीप मांजू पुत्रगण रामसिंह मांजू द्वारा उक्त पट्टा विलेख आवेदन में मिथ्या तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया है। अतः प्लानत शासन नगरीय विकास एवं आवास निगम की अधिवृचना दिनांक 31.05.2012 की धारा 34 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(ख) के अधीन उपरोक्त जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 से संबंधित समस्त राशि को परासत करते हुए उक्त पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 को निरस्त किया जाता है। उक्त पट्टे के आधार पर जारी किसी भी प्रकार की स्वीकृति /अनुरण को भी निरस्त समझा जावे।

यह पट्टा निरस्तीकरण आदेश मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज दिनांक 05.07.2024 को जारी किया गया है।

एतय संलग्न/ फी. 24 / 2005

‘झुंझुनू के साथ सौतेला व्यवहार किया’

झुंझुनू, (निसं)। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बुधवार को राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नए पैकेट में पुरानी चीज बताया है। सुंडा ने कहा कि झुंझुनू जिले के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। गहलोट सरकार ने चिड़ावा और खेतड़ी की सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर उनके भवन के लिए बजट का प्रावधान किया था। लेकिन नई सरकार ने पहले तो इसे रोक और अब अपने बजट में शामिल कर उप जिला अस्पताल के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है।

यही हालत इंदिरा नहर परियोजना का है। झुंझुनू जिले के हर क्षेत्र को कांग्रेस ने इस परियोजना से जोड़ने का फैसला ले लिया था। मंडावा, खेतड़ी और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्रों में हर घर में पानी पहुंच रहा है। उदयपुरवादी और सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट देकर टैंटर तक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं पिलानी व नवलगढ़ के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। भाजपा ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दी और वित्तीय स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया। अब पूर्व में स्वीकृत योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही

हाल यमुना नहर के पानी की डीपीआर के नाम पर है। ताजेवाला हैड से पूर्व में आवंटित पानी की बचाव काम पानी पर राजस्थान डीपीआर तैयार कर हरियाणा के सामने विवश साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी साजिश तो बजट में खेल यूनिवर्सिटी के नाम पर रची गई है। एक बार फिर भाजपा, खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह ले जाने का खेल इस बजट में खेल गई है। झुंझुनू की खेल यूनिवर्सिटी के नाम पर रची गई है। एक बार फिर भाजपा, खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह ले जाने का खेल इस बजट में खेल गई है। झुंझुनू की खेल यूनिवर्सिटी को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। वहीं एक नई महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। जिससे स्पष्ट है कि भाजपा झुंझुनू जिले का विकास नहीं चाहती।

जो विकास झुंझुनू में होना चाहिए उसे भी दूसरे रास्तों से दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन कांग्रेस महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं है। पर झुंझुनू की खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाएगा। सुंडा ने कहा कि नवलगढ़ में नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने, शौच उद्यान के लिए बजट देने, पुलिस लाइन के पुलिया के निर्माण के लिए बजट देने जैसे कई मुद्दे ऐसे हैं। जिन्हें सुलझाने के लिए भाजपा के मंत्रियों से लेकर झुंझुनू के भाजपा नेताओं तक ने दौर किया फोटो खिंचवाई और दावा किया कि इन कामों के लिए बजट देंगे।



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना



श्री मनिलाल शर्मा, मुख्यमंत्री



श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्थान: राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर, झालाना झूंगरी, जयपुर

विश्व जनसंख्या दिवस

के अवसर पर

राज्य स्तरीय समारोह

दिनांक: 11 जुलाई, 2024 | समय: दोपहर 01.00 बजे

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

अध्यक्षता

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर

माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

परिवार की खुशहाली के लिए प्लान करें

पहला बच्चा शारी के 2 साल बाद

2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर

बच्चों में अंतर रखने के लिए गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करें

लड़की की शादी 18 तथा लड़के की शादी 21 साल के बाद

विकसित भारत की नई पहचान - परिवार नियोजन हर दम्पती की शान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर


